न्यायालयः—मधुसूदन जंघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप. प्रक. क.—415 / 2013 संस्थित दिनांक 30.05.2013 फा.नंबर—234503000192013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

– – – –अभियोजन

शेरसिंह पिता प्रेमसिंह टेकाम, उम्र—49 साल, जाति गोंड, निवासी ग्राम पौनी थाना मलाजखंड जिला बालाघाट (म.प्र.)

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक 12/06/2018 को घोषित)

01— उपरोक्त नामांकित अभियुक्त पर दिनांक 13.04.2013 के 07 साल पूर्व से फरियादी श्रीमित शांतिबाई से विवाहित अवस्था में ग्राम पौनी थाना मलाजखंड अंतर्गत फरियादी श्रीमित शांतिबाई के पित होते हुए उसको मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार करने, आहत शांतिबाई को हाथ—मुक्कों से व बाल खींचकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित करने, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने, इस प्रकार धारा—498ए, 323, 506 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02:- प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है।

03:— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि वर्ष 2000 में फरियादी शांतिबाई का विवाह आरोपी शेरिसंह से हुआ था। आरोपी और फरियादी के तीन बच्चे भी हुए। फरियादी शांति ने आरोपी को अपने मायके में रखा था। आरोपी पिछले सात वर्षों से फरियादी को मारपीट कर परेशान करता था। फरियादी के रिश्तेदार आरोपी को समझाते थे, किन्तु आरोपी के व्यवहार में अंतर नहीं आया। आरोपी शराब पीकर फरियादी से मारपीट करता था। घटना के डेढ़ माह पूर्व आरोपी ने फरियादी के पहनने एवं सोने के कपड़े भी जला दिये। आरोपी के मारपीट करने के कारण फरियादी रात में किसी दूसरे के घर में जाकर सोती थी। घटना दिनांक 13.04.2013 को शाम 7:00 बजे भी आरोपी ने फरियादी को लकड़ी—डण्डे से मारपीट किया तथा बाल पकड़कर लात—घूसों

से भी मारपीट किया और जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना के उपरांत फरियादी ने थाना मलाजखंड में घटना की रिपोर्ट की, जिसे अपराध कमांक 43/13 धारा—498ए, 323, 506 भा.दं.वि. में पंजीबद्ध किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04:— प्रकरण में अभियुक्त ने अपने अभिवाक् एवं अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द.प्र.सं में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है एवं बचाव में यह व्यक्त किया है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

05:-प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है:-

1.क्या आरोपी ने दिनांक 13.04.2013 के 07 साल पूर्व से फरियादी श्रीमित शांतिबाई से विवाहित अवस्था में ग्राम पौनी थाना मलाजखंड अंतर्गत फरियादी श्रीमित शांतिबाई के पित होते हुए उसको मारपीट कर शारीरिक एवं मानिसक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार कारित किया ?

2.क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर आहत शांतिबाई को हाथ—मुक्कों से व बाल खींचकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित किया ?

3.क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

-:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न कंमाक 01 एवं 02

साक्ष्य की पुनरावृत्ति तथा सुविधा की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का विचारण एक साथ किया जा रहा है।

06:— शांति तेकाम अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपी शेरसिंह से वर्ष 2000 में उसका विवाह हुआ था, जिससे उसकी तीन संताने हुई थी। आरोपी दो—ढाई वर्ष उसे ठीक से रखा था, उसके बाद उसे दहेज की मांग को लेकर या घर में सामान की कमी बताने के लिए मारपीट करता था। आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगा। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व आरोपी ने घर के बर्तन,

चावल बेच दिया और उसके तथा उसके बच्चों के कपड़े जला दिये। जब वह काम करने के लिए जाती थी तो आरोपी उस पर शक करता था। आरोपी रात में कुल्हाड़ी लेकर उसे और बच्चों को भगा देता था। वे लोग दूसरे के घर जाकर रात व्यतीत करते थे। आरोपी ने घटना के समय उसके साथ लकड़ी से मारपीट की, जिससे उसके हाथ—पैर में चोटें आई थी। उसने आरोपी के विरुद्ध थाना मलाजखंड में प्र.पी.01 की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था।

- 07:— अनुसुईया अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी शेरसिंह और फरियादी शांतिबाई को जानती है। घटना एक वर्ष पूर्व की है। आरोपी शेरसिंह शराब पीकर आता था और उसकी पिंत शांतिबाई के साथ मारपीट करता था। शांतिबाई बचने के लिए उसके घर आ जाती थी, तब वह आरोपी शेरसिंह और शांतिबाई को झगड़ा न करने के लिए समझाती थी। आरोपी शेरसिंह ने शांतिबाई के साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट शांतिबाई ने थाने में की थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लेखबद्ध किया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर यह बताया है कि दिनांक 13.04.2013 को शांतिबाई के शराब पीने के लिये आरोपी ने पैसा मांगा और नहीं देने पर शांतिबाई के साथ मारपीट की थी और पैसे के लिए परेशान किया था और शराब पीने के लिए शेरसिंह ने बर्तन भी बेच दिये थे।
- 08:— फुंदियाबाई अ.सा.03 ने बताया है कि फरियादी शांतिबाई उसकी लड़की तथा आरोपी शेरसिंह उसका दामाद है। उसकी लड़की शांतिबाई को शेरसिंह मारपीट कर परेशान करता था, जिससे बचने के लिए वह इधर—उधर छिप जाती थी। आरोपी उससे कहता था कि लड़की को कहाँ भगाया है ढूंढकर लाओ। आरोपी उसकी लड़की से मारपीट करता था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर यह बताया है कि दिनांक 14.04.2013 को आरोपी शेरसिंह ने उसकी लड़की शांतिबाई के साथ बाल पकड़कर मारपीट की थी और शांतिबाई के कपड़ों में आग लगा दी थी। अनुसुईया एवं अनिल ने बीच—बचाव किया था। घटना की रिपोर्ट उसकी लड़की ने की थी।
- 09:- अनिल गुप्ता अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपी शेरसिंह एवं

फरियादी शांतिबाई को जानता है। घटना की उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान नहीं लिया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर यह स्वीकार किया है कि शांतिबाई और उसकी माँ आरोपी शेरसिंह के साथ उसके पड़ौस में रहता था, किन्तु इससे इंकार किया है दिनांक 14.04.2013 को आरोपी ने शांतिबाई के साथ मारपीट की थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि आरोपी शेरसिंह फरियादी शांतिबाई को हमेशा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.03 का कथन देने से इंकार किया है।

- 10:— जगोतिबाई अ.सा.05 ने बताया है कि वह आरोपी शेरिसंह एवं फरियादी शांतिबाई को जानती है। आरोपी शेरिसंह शांतिबाई को लाठी से मारपीट करता है। पुलिस ने उसका बयान लेखबद्ध किया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी शेरिसंह शराब पीकर शांतिबाई को मारपीट करता था। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी शेरिसंह शांतिबाई के कपड़े जला दिया था। आरोपी घर के बर्तन बेचकर फरियादी से मारपीट करता था।
- 11:— डॉ० एल.एन.एस. उइके अ.सा.०५ ने बताया है कि दिनांक 14.04. 2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में उसने आहत शांतिबाई पति शेरसिंह, उम्र—32 वर्ष, निवासी ग्राम पौनी का मेडिकल परीक्षण किया था। उसने परीक्षण के दौरान आहत को कोई चोट होना नहीं पाया था। उसके द्वारा दिया गया रिपोर्ट प्र.पी.08 है।
- 12:— जैनेन्द्र उपराड़े अ.सा.05 ने बताया है कि थाना मलाजखंड के अपराध कमांक 49/13 धारा 498क भा.द.वि. की विवेचना के दौरान दिनांक 15.04.2013 को उसने फरियादी शांतिबाई के बताये अनुसार नक्शा मौका प्र.पी. 02 तैयार किया था। विवेचना के दौरान उसने फरियादी शांतिबाई, फुंदियाबाई, अनुसुईयाबाई, जगोतिबाई एवं अनिल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। राजेन्द्र उपाध्याय अ.सा.06 ने बताया है कि विवेचना के दौरान उसने आरोपी शेरसिंह से दिनांक 08.05.2013 को एक सूखी लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था तथा आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक

प्र.पी.07 तैयार किया था।

न्यायदृष्टांत शिवचरण लाल वर्मा बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 2002(2)विधि भास्वर 291 म0प्र0 के मामले में यह अवधारित किया गया है कि द्वितीय पत्नि का विवाह प्रथम विवाह के अस्तित्व में होने के दौरान हुआ था। ऐसी स्थिति में द्वितीय पत्नि को भा.द.वि. की धारा 498क के तहत् मामला दर्ज करवाने की पात्रता नहीं है। शांति तेकाम अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी शेरसिंह का विवाह सकुनबाई से उसके विवाह से पहले हुआ था। यह भी स्वीकार किया है कि सकुनबाई आरोपी के ग्राम बोदालझोला में रहती थी। वह और शेरसिंह गोंड जाति के है। उसका और शेरसिंह का गोंडि जनजाति के रीति रिवाज के अनुसार विवाह नहीं हुआ है। आरोपी शेरसिंह ने ग्राम पौनी में उससे शादी नहीं की है। स्वतः बताया है कि पाठ के कार्यक्रम के अनुसार जाति रीति से उन्होंने समाज में खाना खिलाया था और उसके बाद वह आरोपी के साथ पत्नि की तरह रहती थी। गोंडि जनजाति में प्रथम पत्नि से विवाह विच्छेद किये बिना दूसरा विवाह हो सकता है, ऐसे किसी रीति रिवाज के संबंध में साक्षी ने नहीं बताया है तथा प्रथम पत्नि के जीवनकाल में पाठ विवाह से दूसरी पत्नि से विवाह करने की रूढ़ी के बारे में भी साक्षी ने नहीं बताया है। ऐसे में आरोपी शेरसिंह की प्रथम पत्नि के जीवित रहते हुए फरियादी शांतिबाई का शेरसिंह की दूसरी पत्नि होना रूढ़ी के अनुसार प्रकट नहीं होता।

14:— अनुसुईया अ.सा.02 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि फरियादी शांतिबाई आरोपी शेरिसंह के साथ बिना शादी के रहती थी। फरियादी शांतिबाई की माँ फुंदियाबाई ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी शेरिसंह के साथ उसकी पुत्री शांतिबाई की शादी नहीं हुई थी। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी शेरिसंह एवं शांतिबाई का उसके सामने विवाह नहीं हुआ था, जिससे उक्त साक्षियों के कथन से भी यह स्पष्ट है कि फरियादी शांति का आरोपी शेरिसंह से विवाह नहीं हुआ था, जबिक धारा 498ए भा.द.वि. के लिए आवश्यक है कि पीड़ित व्यक्ति आरोपी की वैध विवाहिता पत्नि हो तथा न्यायदृष्टांत शिवचरण लाल वर्मा बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 2002(2) विधि भास्वर 291 म0प्र0 के आलोक में धारा 498ए भा.द.वि. का आवश्यक तत्व पत्नि

को कूरता का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

- 15:— अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपी द्वारा फिरयादी शांतिबाई के साथ मारपीट की गई। शांतिबाई अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपी शेरिसंह उस पर शक करता था और मारपीट करता था। उसे घर से भी भगा देता था। घटना के दिन लकड़ी से मारपीट किया, जिससे उसके हाथ—पैर में चोटें आई थी। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने पुलिस को अपने बयान में दहेज की बात को लेकर आरोपी द्वारा मारपीट करने की बात बता दी थी, यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेख न हो तो वह कारण नहीं बता सकती। प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि घरेलू और काम की बात को लेकर आरोपी से विवाद होता था। आरोपी शराब पीकर आता था, इसी बात को लेकर आरोपी से लड़ाई होती थी। प्रतिपरीक्षण में इससे भी इंकार किया है कि शराब के नशे में लड़ते हुए छीना—झपटी हुई थी।
- 16:— अनुसुईया अ.सा.02 ने भी बताया है कि आरोपी शेरसिंह ने अपनी पितन के साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट शांतिबाई ने की थी। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी शांतिबाई छोटी—छोटी घरेलू बातों को लेकर आरोपी को परेशान करती थी। यह भी स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 13.04.2013 को आरोपी एवं शांतिबाई के मध्य विवाद एवं लड़ाई के बाद वह घटनास्थल पर पहुँची थी। उसने आरोपी को शांतिबाई के साथ मारपीट करते हुए नहीं देखी थी। आरोपी शेरसिंह एवं शांतिबाई के मध्य किस बात को लेकर विवाद हुआ था उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार यह साक्षी भी घटना के बाद घटनास्थल पर पहुँची है और मारपीट नहीं देखना बताया है, इसलिये यह साक्षी घटना की अनुश्रुत साक्षी है।
- 17:— फुंदियाबाई अ.सा.04 ने बताया है कि आरोपी शेरिसंह फरियादी शांतिबाई को शराब पीकर मारपीट करता था। दिनांक 14.04.2013 को आरोपी शेरिसंह ने उसकी लड़की शांतिबाई के साथ बाल पकड़कर मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी शेरिसंह तथा उसकी बेटी शांतिबाई छोटी—छोटी बात को लेकर लड़ते थे। घटना दिनांक 14.04.2013 को शेरिसंह द्वारा शराब पीने को लेकर शांतिबाई की उससे लड़ाई हुई थी और

घटना के समय छीना-झपटी हुई थी। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी लड़की के साथ कोई मारपीट नहीं की थी।

18:— अनिल गुप्ता अ.सा.04 ने पक्षद्रोही घोषित कराये जाने पर मारपीट की घटना से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके सामने शांतिबाई को कोई प्रताड़ना नहीं किया था। शांतिबाई के बताये अनुसार वह घटना के बारे में जानता है। जगोतिबाई अ.सा.05 ने बताया है कि आरोपी शेरसिंह उसकी भांजी शांति से मारपीट करता था। आरोपी शेरसिंह शराब पीकर शांतिबाई से मारपीट करता था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह बताया है कि वह मारपीट की तारीख नहीं बता सकती, किन्तु इससे इंकार किया है कि आरोपी शेरसिंह ने शांतिबाई से कोई मारपीट नहीं की थी।

शांति तेकाम अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपी शेरसिंह ने उसे लकड़ी से मारपीट की थी, जिससे उसके हाथ एवं पैर में चोटें आई थी। अनुसुईया अ.सा.०२, फुंदिया अ.सा.०३, अनिल गुप्ता अ.सा.०४ तथा जगोतिबाई अ.सा.05 ने आहत शांतिबाई के शरीर के किस हिस्से में चोट आई थी नहीं बताये हैं। डॉ० एल.एन.एस. उइके अ.सा.०५ द्वारा आहत शांतिबाई का मेडिकल परीक्षण किया गया है, किन्तू उन्होंने आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं होना पाया था, जिसके संबंध में प्र.पी.08 की मेडिकल रिपोर्ट दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.08 में आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पाया जाना उल्लेखित है। इस प्रकार आहत द्वारा बताई गई चोट भी मेडिकल रिपोर्ट से समर्थित नहीं है तथा आहत के शरीर पर कोई चोट होना भी प्रमाणित नहीं है। यदि आहत को लाठी से मारपीट की गई होती तो अवश्य ही आहत के शरीर पर नीलगु आदि के निशान पाये जाते, किन्तु आहत के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये, इसलिये चोट के संबंध में आहत द्वारा किया गया कथन भी विश्वास योग्य नहीं है, जिससे आहत शांतिबाई की चोट मेडिकल रिपोर्ट व चिकित्सक साक्षी के कथन से समर्थित भी नहीं है तथा उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं पाया जाता है, जिससे आहत के मारपीट के कथन मेडिकल रिपोर्ट से समर्थित न होने से भी मारपीट की घटना उपरोक्त परिस्थितियों में संदेहास्पद हो जाती है। इस सबंध में न्यायदृष्टांत छोटूदास

बनाम स्ट्रेट ऑफ एम.पी. 2010(5) एम.एच.टी. 237 अवलोकनीय है एवं उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है, जहाँ अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो, वहाँ संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए एवं जहाँ दो युक्तियुक्त विचार संभव हो, ऐसे परिस्थिति में दोषमुक्ति के समर्थन करने वाले विचार को ग्रहण किया जाना चाहिए। इस सबंध में न्यायादृष्टांत स्टेट आफ एम.पी. बनाम सुनील जैन 2007 (3) म. प्र.लॉ.ज. 372 म.प्र., एवं न्यायदृष्टांत कांतिलाल राठी एवं अन्य विरुद्ध स्टेट आफ म०प्र० 2008 कि.लॉ.रि.800 अवलोकनीय है।

विचारणीय प्रश्न कमांक-3

20:— शांति तेकाम अ.सा.01, अनुसुईया अ.सा.02, फुंदियाबाई अ.सा.03, अनिल अ.सा.04, जगोतिबाई अ.सा.05 ने आरोपी शेरिसंह द्वारा फिरियादी शांतिबाई को जान से मारने की धमकी दिये जाने के बारे में कोई कथन नहीं किये हैं। स्वयं फिरियादी शांतिबाई एवं उक्त साक्षियों ने यह नहीं बताया है कि फिरियादी शांतिबाई आरोपी की धमकी को सुनकर भयभीत हो गई थी या उसे जान का भय पैदा हो गया था। उक्त साक्षियों ने यह भी नहीं बताये है कि आरोपी ने घटना पश्चात् अपनी धमकी को कार्यरूप में परिणित करने के लिए कोई कार्य किया था, जिससे आरोपी का धमकी निष्पादित करने का सुदृढ़ निश्चय व्यक्त नहीं होता है। फलतः घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फिरियादी शांतिबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने की घटना का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। उक्त सबंध में न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि मास्वर 2005 (2) पेज नं.152 अवलोकनीय है।

21:— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 13.04.2013 के 07 साल पूर्व से फरियादी श्रीमित शांतिबाई से विवाहित अवस्था में ग्राम पौनी थाना मलाजखंड अंतर्गत फरियादी श्रीमित शांतिबाई के पित होते हुए उसको मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार कारित किया, आहत शांतिबाई

को हाथ—मुक्कों से व बाल खींचकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः आरोपी को धारा—498ए, 323, 506 भा.दं.वि. के दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

- 22:- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 23:— आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा—428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी दिनांक 08.05.2013 से 20.05.2013 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है।
- 24:- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक पलास की लकड़ी अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से अपील न होने पर नष्ट की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

''मेरे निर्देश पर टंकित किया''

सही / – (मधुसूदन जंघेल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) सही / – (मधुसूदन जंघेल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)